

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
गंत्रालय

वल्लभ अवैन, भोपाल-462004

क्रमांक- ५३६
/ १४३/२०२०/२०-३
प्रति,

भोपाल, दि ०२ १८/२०२०

सचिव
सी०बी०एस०ई०
बई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संरथा को सी०बी०एस०ई० बई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले।

राज्य शासन एतद् व्यारा अशासकीय संरथा-सेट जोसेफ कार्वेट सीनियर
ऐकेण्डरी स्कूल सागर केन्ट, जिला-सागर, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० बई
दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र छिन्नालिखित शर्तों के आधार पर
प्रदान किया जाता हैः-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा संडल या अव्य बोर्ड से सम्बद्धता भिलने के
उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की
मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) विद्यालय प्रबंधन व्यारा विद्यालय की प्रबंधन समिति गैं संभागीय संयुक्त
संघालक, लोक शिक्षण तथा उनके व्यारा नामांकित एक प्रतिबिधि को
सदरय के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों
में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (3) संरथा व्यारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय
प्रकाशित किये जायेगे। शिक्षण शुल्क वा उन पालकों का शोषण नहीं
किया जायेगा।
- (4) संरथा विभिन्न अवरारों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांरकृतिक एवं
स्पेलकूद कार्यक्रम तथा अव्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये छोल
का मेटान, छात्रावास भवन की रुहिंधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध
करायेंगे। इस हेतु संरथा से वचन पत्र लिखा जाये।
- (5) संरथा व्यारा प्रदेश के छोल आयोजनों, सांरकृतिक आयोजनों, विज्ञान
मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की
जायेगी।
- (6) विशेष छात्रों के लिये संरथा को ऐसा छोल व्यवस्था करना आवश्यक
होगा। संरथा विशेष छात्रों को प्रदेश ट्रेजे में इक्कार बही करेगी। इस
संबंध में प्राप्त शिकायत यदि इष्ट पाठी गई तो संरथा का अनापत्ति
प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

१४३

विरल्लर...2

- (7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुरतके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्य करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्य करने की आव्यता नहीं रहेगी।
- (8) संस्था के छात्रों को उनके विवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे जंलनशील साधन जैसे घरेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अधिक-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस रांबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में रकूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार उद्यं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रदेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी प्रकार भी प्रकार की रक्कीनिंग प्रक्रिया नहीं अपनाएगा।
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/हौर-शैक्षणिक अमले की रोका शर्ते जो कि राज्य शासन के समरूप होकी चाहिए के पालन न होने की रियति में संबंधित संभागीय संयुक्त संघालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्रवाई हेतु सक्षम होंगे।
- (15) राम्यक निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। रकूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय रकूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संघालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का.....

Chm

निरक्तर....3

//3//

अनुसरण करते हुए रकूल की माव्यता निलंबित करने और पश्चात्वर्ति
इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन ब करने पर जारी अवाप्ति प्रमाण पत्र
विरहत किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Om Shanti
(के ० के ० द्विवेदी)

उप सचिव

म ० प्र ० शासन, रकूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दि ० २ १ / ८ / २०२०

पु ० कमांक-

६०६

१९४३/२०२०/२०-३

प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म ० प्र ० भोपाल।
- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म ० प्र ० भोपाल।
- (3) संयुक्त रांचालक, लोक शिक्षण रांभाग, म ० प्र ०
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सागर, म ० प्र ०
- (5) विशेष राहायक, मान० राज्यमंत्री (रघुनंत्र प्रभारी), रकूल शिक्षा विभाग,
भोपाल।
- (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-सेट जोसेफ कान्फ्रेट रीनियर सेकेण्डरी रकूल
सागर केन्ट, जिला-सागर, म ० प्र ०
- (7) फोल्डर प्रांति

सूचबार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधोधित।

Om Shanti

म ० प्र ० शासन, रकूल शिक्षा विभाग